यालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
ासीन अधिकारीः–श्रीमति टीना डाबी, आई.ए.एस.
दमा नम्बरः–71/2019 प्रार्थना पत्र

श्री सोहन पिता भैरू चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री खेमा पिता दयाराम चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री रामेश्वर पिता दयाराम चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
श्री काना पिता दयाराम चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

––––प्रार्थीगण

बनाम

-श्री मगना पिता काना बैरवा, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्रीमति सीमा पत्नि मुकेश खटीक, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री जमनालाल पिता रामलाल चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री मोहन पिता रामलाल चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री शंकर पिता रामलाल चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्री कल्याण पिता भज्जा चमार, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति गोदावरी देवी पत्नि रामेश्वरलाल तिवाड़ी, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)
-श्री हीरा पिता मोहन माली, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
-श्रीमति शांता देवी पत्नि बालू माली, उम्र बालिग निवासी कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा
0–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, भीलवाड़ा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

–––विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

:: नि र्ण य ::

दिनांकः–29.3.2019

वकील प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विपक्षीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3632 रकबा 15 बिस्वा, 3644/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 3679 रकबा 5 बिस्वा, 3682 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज रेकार्ड है। विपक्षीगण विवादित आराजियात के पड़ौसी हैं। प्रार्थीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजियात के सीमा चिन्ह नहीं होने के कारण आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी कराना चाहते हैं। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर पत्थरगढी किये जाने का आदेश प्रदान फरमावें।

वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दिनांक 25.2.2019 को पंजीबद्व किया जाकर जरिये सम्मन विपक्षीगण को तलब किया गया। विपक्षीगण के सम्मन बाद तामिल प्राप्त हुये। जिसे शामिल पत्रावली किये गये । विपक्षीगण को कितनी ही मर्तबा विधिवत् आवाजे दिलाई जाने के उपरांत भी उपस्थित नहीं होने के कारण दिनांक 28.3.2019 को एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश पारित किया गया।

वकील प्रार्थीगण ने एक तरफा बहस करनी चाही। वकील प्रार्थीगण की एक तरफा बहस सुनी गयी । बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने कथन किया कि प्रार्थीगण को अपने खाते व कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी नहीं होने के कारण फसल काश्त करते समय,

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

फसल काटते समय सीमा बाबत विपक्षीगण के मध्य विवाद होता रहता हैं। इस कारण प्रार्थीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजियात की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी करवाना चाहता हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र को सिद्व कराने में सफल रहने के कारण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित समझती हूँ, अतः

:: आ दे श ::

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र धारा 111–128 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 के तहत स्वीकार किया जाकर ग्राम कोदूकोटा पटवार हल्का कोदूकोटा तहसील व जिला भीलवाड़ा में स्थित हाल आराजी नम्बर 3632 रकबा 15 बिस्वा, 3644/2 रकबा 2 बीघा 17 बिस्वा, 3679 रकबा 5 बिस्वा, 3682 रकबा 19 बिस्वा कुल किता 4 रकबा 4 बीघा 16 बिस्वा भूमि की सीमा जानकारी के लिये पत्थरगढ़ी किये जाने का आदेश दिया जाता हैं। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये भू–अभिलेख निरीक्षक, सुवाणा को 500/–रूपये (पॉच सौ रूपये) कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता हैं। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान् की मौजूदगी/उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावें। पत्थरगढ़ी किये जाने के लिये तहसीलदार, भीलवाड़ा को पालना हेतु लिखा जावें।

(टीना डाबी)
आई ए एस
उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 29.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,
भीलवाड़ा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी

Scanned by CamScanner